

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 17/2017-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, तारीख 21 अप्रैल, 2017

सा०का०नि० (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 के उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 271, दिनांक 25 अक्टूबर, 1958, जिसे सा०का०नि० 991(अ), दिनांक 25 अक्टूबर, 1958 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद द्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं, जब उनका आयात भारत में किया गया हो अथवा जब उनको सेना, नेवी, एयरफोर्स या केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की किसी यूनिट द्वारा भारत लाया जा रहा हो जब विदेश में सेवा से वापस लौट रही हो, को उस सीमा शुल्क से पूर्ण रूपेण छूट प्रदान करती है जो कि उनपर उप सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से लगाया जाता हो अथवा उस अतिरिक्त शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करती है जो कि उस पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगाया जाता है ।

बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं के बारे में सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क उप आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, और जिनके अधिकार में वे आते हों, इस बात से संतुष्ट हों कि इनका निर्यात किया गया है और अथवा ऐसी इकाईयों द्वारा उन्हें भारत □□ □□□□ □□□□ गया है ।

(फा.सं. 354/64/2017-टीआरयू)

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार